

उत्तर प्रदेश शासन
विकलांग कल्याण अनुभाग-2
संख्या-३६० / 65-2-2012-19(बजट) / 2009
लखनऊ : दिनांक ॥ अप्रैल, 2012

कार्यालय ज्ञाप

मा० मंत्री जी, विकलांग कल्याण द्वारा "उत्तर प्रदेश में विकलांगता निवारण, बचाव, उपचार एवं पुनर्वासन में संलग्न स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान (प्रथम संशोधन), नियमावली, 2008 के नियम-6 के अन्तर्गत गठित अनुदान समिति के अध्यक्ष पद पर एतद्वारा प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण को नामित किया जाता है।

अनिल कुमार सागर
विशेष सचिव।

संख्या-३६० (1) / 65-2-2012-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1-निजी सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- ✓ 2-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग।
- 3-निजी सचिव, विशेष सचिव, विकलांग कल्याण विभाग।
- 4-निदेशक, विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5-अनु सचिव, श्री गुप्त एवं श्री रावत, विकलांग कल्याण विभाग।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सागर)
विशेष सचिव।